

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/स्था.2/सी/स्था./61/2010/1641

भोपाल, दिनांक 29-9-2010

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।
2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमन्त सराज शुक्ल (इतिहास)	AN 5409	शास.उ.मा.वि.घुघरा शीठी जिला कटनी	23380677706	शास.कमला नेहरू उ.मा.वि.ब्यौहारबाग जिला जबलपुर	23390277708
2.	श्रीमन्त शोभा काशिक (अर्थशास्त्र)	AL 9777	शास.क.उ.मा.वि. पिपरिया जिला होंशगावाड	23370677702	शास.महात्मागांधी उ.मा.वि.क्रमांक-2 हरदा	23360177703
3.	श्री जयनारायण उईल (वाणिज्य)	AZ 5933	शास.म.ल.वा.उ.मा.वि.छिन्दवाडा	23430177701	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शास.उ.मा.वि. सितनी जिला सितनी	23440177703

3/8/2010

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 29-9-2010

पृष्ठा क्रमांक/स्था.2/सी/स्था0/61/2010/1642
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. जयपुर जिला कटनी/होंशगावाड/छिन्दवाडा/जबलपुर/हरदा/सितनी ।
4. जयपुर कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला कटनी/होंशगावाड/छिन्दवाडा/जबलपुर/हरदा/सितनी ।
5. जयपुर संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर/होंशगावाड ।
6. जयपुर कोषालय अधिकारी जिला कटनी/होंशगावाड/छिन्दवाडा/जबलपुर/हरदा/सितनी ।
7. जयपुर शिक्षा अधिकारी कटनी/होंशगावाड/छिन्दवाडा/जबलपुर/हरदा/सितनी । म.प्र. की ओर उल्लेखित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख में यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से सेवारत होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन के पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
8. संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

3/8/2010

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था.2 / सी / स्थानां. / 61 / 2010 / 1643

भोपाल, दिनांक 29-9-2010

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्थानां./38/2010/889-890 दिनांक 14.6.10 के सरल क्रमांक 01 पर अंकित श्री एम.एम.खान व्याख्याता (राजभोज शार) का नाम दि.जामनेर जिला शाजापुर का शास.उ.मा.वि.मौडी सोयतकला जिला शाजापुर किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।



आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 29-9-2010

पृष्ठा क्रमांक स्था.2/सी/स्थानां./61/2010/1644
परिशिष्ट :-

1. नि.स. सहायक, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. नि.स. सहायक, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
4. डायरेक्टर जिला शाजापुर म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर।
7. प्रचार्य शा.उ.मा.वि.जामनेर जिला शाजापुर / शास.उ.मा.वि.मौडी सोयतकला जिला शाजापुर।
8. उल्लिखित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त,

लोक शिक्षण म.प्र.